<u>न्यायालय अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर</u>।
<u>परिवाद पत्र संख्या :–01/2019</u>
<u>आदेश</u>

<u>21.07.2022</u> परिवादी बिनोद शर्मा की ओर से उपस्थिति पत्र दाखिल किया गया है। अभिलेख आदेश हेतु नियत है । अभिलेख आदेशार्थ प्रस्तुत किया गया ।

सुना । अभिलेख का अवलोकन किया जिससे विदित होता है कि परिवादी ने अभियुक्तगण दीपक कुमार, रंजीत कुमार उर्फ ताला, सत्येन्द्र सिंह, उपेन्द्र शर्मा, रवि कुमार, रामजी शर्मा एवं श्यामजी शर्मा के विरूद्ध परिवाद पत्र लाया है । परिवादी ने अपने परिवाद के समर्थन में स्वयं के शपथ पर बयान के अतिरिक्त दो जॉच साक्षी 1. कोमल कुमार एवं 2. पुरूषोतम कुमार का जॉच परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण कराया है । परिवाद पत्र, परिवादी का शपथ पर बयान एवं जॉच साक्षी के साक्ष्य के अवलोकन से परिवाद पत्र में उपरोक्त नामांकित अभियुक्तगण में से अभियुक्त दीपक कुमार, रंजीत कुमार उर्फ ताला एवं सत्येन्द्र सिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323, 504 एवं 427 भा0द0सं0 के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता प्रतीत होता है । अन्य अभियुक्तगण एवं अन्य धाराओं के अंतर्गत कोई मामला बनता प्रतीत नही होता है ।

अतः उपरोक्त अभियुक्तगण दीपक कुमार, रंजीत कुमार उर्फ ताला एवं सत्येन्द्र सिंह के विरूद्ध अंतर्गत धारा 323, 504 एवं 427 भा0द0सं0 के अंतर्गत संज्ञान लिया जाता है तथा उन्हें विचारण हेतु आहुत किया जाता है ।

परिवादी को यह निर्देश दिया जाता है कि अभियुक्त के विरूद्ध समन निर्गत करने हेतु आवश्यक अपेक्षिकाएँ दिनांकः–05–08–2022 वास्ते दाखिल करें ।

अनुमण्डलीय न्यायिक दण्डाधिकारी, दाउदनगर ।